(2) इस मंत्रालय में हिन्दी का अच्छा ज्ञान रखने वाले अधिकारियों और स्टाफ को सरकारी कामकाज में यथासम्भव हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए।

(3) मंत्रालय से छोटे-छोटे और गैर-तकनीकी पत्र हिन्दी भाषी राज्यों को मूल रूप से हिन्दी में भेजे जाएँ।

(4) हिन्दी अधिकारी को मंत्रालय तथा इसके सबद्ध एव अधीनस्थ कार्यालयों में अनुभागों के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सबंध में विभिन्न हिदायतों को कार्यान्वित करने में उनके सामने क्या कठिनाइयाँ हैं।

(ग) समिति की बैठक के कार्यवृत्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु सभी सबंधित अधिकारियों को भेजा जाता है। किसी भी बैठक में लिये गये निर्णयों अथवा दिए गये सुझावों का समिति की अगली बैठक में पुनरीक्षण किया जाता है।

गया जंक्शन जाने वाले यात्रियों पर तीर्थ यात्रा कर

8011. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पूर्वी रेलवे के गया जंक्शन के लिए टिकट खरीदने पर यात्रियों को रेल किराये के अतिरिक्त तीर्थयात्रा कर देना पड़ता है,

(ख) यदि हाँ, तो उन यात्रियों से यह कर वसूल करने का क्या औचित्य है जो गया अथवा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं तथा जो तीर्थ यात्री नहीं है; और

(ग) क्या सरकार का विचार है कि गया तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले यात्रियों से उक्त कर वसूल न किया जाये ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ। लेकिन, संलग्न विवरण में उल्लिखित मामलों में कर नही लगाया जाता।

(ख) यह कर लॉजिंग हाउस कमेटी के लाभ के लिए, बिहार तीर्थ-यात्रा स्थल अधिनियम, 1920 के अन्तर्गत लगाया जाता है।

(ग) कर में छूट देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए रेल मंत्रालय सक्षम नही है।

विवरण

नीचे लिखे मामलों में कर नही लगाया जाता —

(1) (क) गया और पटना-गया शाखा लाइन के नदौल-चारन्द खण्ड के स्टेशनों के बीच (ख) गया और गया-मुगलसराय लाइन के कष्ठा-जाखिम खण्ड के स्टेशनों के बीच (ग) गया और गया आसनसोल लाइन गमडी-मानपुर खण्ड के स्टेशनों के बीच तथा (घ) गया और साउथ बिहार लाइन के तिलैया-पैमार खण्ड के स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों पर।

(2) मासिक टिकटों पर यात्रा करने वाले लोगों पर।

(3) सरकारी उच्चाधिकारियों के लिए विशेष गाड़ियों पर और ढुलाई दरों पर यात्रा करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर और अपने वाहनों में, जिसके लिए ढुलाई दर ली जाती है, यात्रा करने वाले अन्य लोगों पर।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का विकेन्द्रीकरण

8012. **श्री ईश्वर चौधरी** :
श्री यमुना प्रसाद मडल :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में